



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य शासन द्वारा गठित)
ताज कंपस नियर ताखुल मराजिन भोपाल फोन: 0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7242 /- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

संज्ञापोल D.No. 7471

प्रति,

श्री याहया वषा साह अहमद

अंजुमन इस्लामिक मुल्तमीन

गाँधी प्रेमोरीयाल स्कूल मुसाफिर खाना, रतलाप नि. शेराजीपुरा, रतलाप

(17.8)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12 तसे 13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543171

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 7081

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 1 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक ०३-०४-१३
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : याह्या खान साह अहमद अजुमन इफलाहुला

मुहल्ले मी न डाव्ही मे सो रिफाल स्कूल मु माफिर बरानी - बरलाम बि.
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 19325 रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल १२-१३ से लगायत साल _____ भी अन्दर १५ दिनों में भेजें। _____

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013				1233200/-	7%	86744/-		
						भूतेश्वर		137552/-		
						योग		224290/-		
				रसीद नं. 1099				25000/-		
					20/6/13					
						काशी		199236/-		
			रसीद संख्या							
			26/6/13							

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता, वलर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

+ 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताजा कैम्पस नियर ताजुल मसजिद भोपाल फोन 0755 2543175, 2733734
ई-मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7243 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

रजिस्ट्रार D.No. 7472

प्रति,

श्री नूर मोहम्मद S/o अल्ला खान
मुतावल्ली

महिफ कवाडा

निवासी, क.क. 2 रतलामी गेट जवरा जिल्हा रतलाफ न.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) बक्ष एक्ट 1995

दिनांक

रिव ५५

~~कवाडी नि. प्र. नं. २ रतलामागि २ जाणा जिला. रतलाम (म.प्र.)~~

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. प्रारत आय. व्यय पत्र अनुसार ^{DIN} जारी

केवल 49278 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल _____ से लगायत साल _____ भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. कलक

हस्ता. ईजार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मं.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(कन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज कम्पस नियर राजुल मसाजिद भोपाल फोन-0755 2643176, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7232/- भोपाल, दिनांक 13.08.2013

रजिस्ट्रार D.No. 7461

प्रति,

श्री अब्दुल सलाम शेख
अध्यक्ष

महोदय पंच मौजिया

मोचीपुरा रतला 1 नं. 5

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 11-12 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

or

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

5697/11-06-2013

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 27 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : ~~आदुल मल्लाम~~ S/o ~~अब करीम अहमद गरीब~~

~~पंच मोधिकान मो जीपुरा अल्लाम म म~~

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. ~~पूर्व आय अनुसार~~ 2/11 जारी

केवल 11835/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 11-12 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012-2013	-	-	-	164200/-	7%	11494/-		
						पूर्व शेष		341/-		
						कुल शेष		11835/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(कन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य वक्फ बोर्ड नियंत्रण मंत्रालय भोपाल फोन 0755 2543176, 2712341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7238 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

कम्प्यूटर D.No. 7467

प्रति,

श्री रईस अहमद फुर्रेशी S/o चांद मो०

अहमद दरगाह हैदर अली व फ़ज़लान

हार रोड 22 नंदापुरा रतलम (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 82-83 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

7983/04-8-2012

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 81 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12 22/11/12

केवल 11900/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 82 83 से लगायत साल 11-12 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	11-12					170000/-	7%	11900/-		
								11900/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

etc

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित)
राज्य कंप्यूटर निगरा निगम पराजित भोपाल फोन: 0755-2243175, 22437341
ई मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7239 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुध-कोट- D.No. 7468

प्रति,

श्री मेहमूद कुरेशी S/o मोहजी कुरेशी

अध्यक्ष मोहम्मद शाह साराये नि. नहरपुर रोड

इमाम जादे के पीछे रतलाम (M.P.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 0755-2543175

फैक्स : 0755-2543171

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 32 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. 7082 दिनांक 03-08-13
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : महमूद केशी डन मोन जी कोठी यदुप्रभा माफिया
शहद मयके निनाम, नया पुरा रोड इमाम बाई के पीछे रतनपुर
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 23189/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2012 से लगायत साल 2013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	12-13		-	-	-	2,34,800/- पुनः शिवा 21 व	7%	16434/- 6753/- 23189/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्यप्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य शासन द्वारा गठित)
राज्य कमिश्नर नियंत्रण भूस्वामि, भोपाल फोन: 0755-2563175, 2712141
ई मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7234 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

रजिस्ट्रार D.No. 7463

प्रति,

श्री श्री २२५५ श्री २२५५, अध्यापक

माहजिद खैलात राई

निवासी, पी. एन्ड. टी. कॉलोनी रहलाह न. 5

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा मापिक हिसाबात वर्ष X से X तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 64 डिमाण्ड नोटिस सन् 2012-13 जावक नं.

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

6577/06-07-2013 दिनांक

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : आबुल रहमान आबुल रहमान आबुल रहमान आबुल रहमान

संलग्नता मांड - 2011-12 - निवारी - पी.एच.डी. - कालोनी - 2011-12-12
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. आबुल रहमान आबुल रहमान आबुल रहमान

केवल 6697/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 07-08 से लगायत साल x भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
2012-	12		206853	397821	167071	167100%	7%	11697		
						शुद्ध राशि		13775		
						कुल राशि		254721		
						R.No 1077	(-)	18775		वसूल राशि
						21-6-13		6697/-		
						कुल राशि				
						संलग्नता मांड - 2011-12-12				
						21-6-13				
						कुल राशि				
						संलग्नता मांड - 2011-12-12				
						21-6-13				

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(कन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताजा कॉम्पस गियर लाजुल मसजिद भोपाल फोन 0755 2543175, 2732341
ई-मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.NO. 7235 /-भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सूचित D.NO 7464

प्रति,

श्री हाजी गुलाम मो० सिद्दीकी

अध्यक्ष मस्जिद मैलाना

निःशेरफ जी मोहम्मद मैलाना जिला - रायलगाँव (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

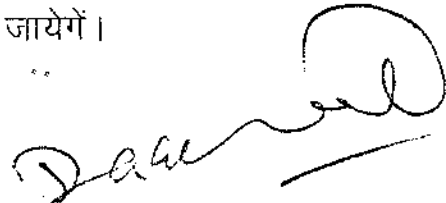
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष-2004-05 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक


(दारुद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

o/c

फोन : 0755-2543175

फैक्स : 0755-2543171

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज कैम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 7036

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 171 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक 29/7/13

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : हाजी गजाल मोह निरहोका बरय्या मारुफ मजान

निवासी शेख गी मोहम्मद मजान निवा 28 मजान न

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व राशि 11

केवल 13300 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 04, 05 से लगायत साल 12, 13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	12-13		-	-	-	2,00,000/-	7%	14,000/-		
						बोर्ड को अदा		700/-		
						कुल 210		13300/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य गठित)
राज्य कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली पर भोपाल फोन: 07992 254317, 254317, 254317, 254317
ई मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7245 /-भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वीड पो-ए D.No. 7474

प्रति,

श्री मुन्शी जी S/o छेहू जी.

आफा माहकदे पुरानी धात मण्डी

जिसकी लकी मेडिकल स्टोर 20लामी गेर जाबरा कि. 2तलाफ भि. 4

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपका द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

४

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3

नस्ती क्र. 50

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : मुन्शी जी S/O होइ जी अहमद जामा मीरजद पुरानी धान
महाडीहानी नं लकी गेडीकतन मयोर गतल्लगी गेट जावरा जिला - जल्लाम (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व राशि अनुमति 2/11 जी

केवल 7000/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 65-06 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कप की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	100,000/- 2/11	7/	7000/- 7000/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य केम्पस नियर लाजुल मसजिद भोपाल फोन 0755 2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7246 /-भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वीड कोर D.No. 7475

प्रति,

श्री सय्यद उर्रहमान 5/0 हकीम उर्रहमान साह

अहमद इदगाह त कन्नौज

नि. काजीपुरा शु. काजीपुरा जिला झांझपुर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 1 से 1 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

dlc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

6/11/24-07-2013

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र.

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री सय्यिद उर्रहमान वगैरह श्री लकिल उर्रहमान साह मेहता

वतन डिमाण्ड ता इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि.

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि. इस्तेमाल नि.

केवल 9562/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल * * से लगायत साल * * भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	107205/-	605/-	106600/-	106600/-	7%	7462/-		
								21000/-		
								9562/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. ईंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
लाजा केवरा नियर लाजुल मरानिग भोपाल फोन-0766-2643176, 2737341
ई-मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7248 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुपडिपोले D.NO. 7477

प्रति,

श्री हाजी शहजाद उददीन
अहमद मर्दाना दीन मोहम्मदी
नि. लाजा मीहजद के पास मंदतौट (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपको द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12 से 13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

dc

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 0755-2543175

फैक्स : 0755-2543171

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

7079

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 39 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक 03-08-13

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

ह/ग/ 216 ग/ 344 ग/ 344 ग/ म/ग/ 41 ग/ मो/ग/ 41

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

केवल 17458 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 2012 से लगायत साल 2012 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	12-13	-	-	-	-	124300/- 21 ग/ 21 ग/ 21 ग/	7%	8701/- 8757/- 17458/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. चार्ज शाखा

o/c

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य कम्परा नियंत्रण बजट मंत्रालय, भोपाल फोन: 0755-2543175/2717341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7247 / भोपाल, दिनांक 2/13/08.2013

एम्प्लॉयडोल् D.No. 7476

प्रति,

श्री अलीज उददीन मंसूरी

अध्यक्ष मस्जिद व मदरसा मकानत

दुकानात मुवासरा मण्डी नि. कुम्हार मोहल्ला मुवासरा मण्डी मंदलौल (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अंतर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 0755-2543175
फैक्स : 0755-2543171

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 18 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. 7078 दिनांक 03-08-13
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : जगज 344 नं. 1021 हाइवे मोहल्ला व
मदना, जकागाट, दुकागाट तुनामरा मण्डि, नि० कुम्हार मोहल्ला तुनामरा मण्डि
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. युन लाय 47 मदनोर
केवल 10159 रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर
भेजे और हिसाबात साल 2012 से लगायत साल 2013 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		1243	—	—	—	133400/- पूर्व राशि 214	7%	9338/- 821/- 10159/-		

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

21/8/2013
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज कोमल गिरार लाजुल गिराशिव भोपाल फोन: 0755-2543175, 2737341
ई मेल mp.wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No 7253 भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुप्रीमोर्ट-D.No. 7482

प्रति,

श्री मोहम्मद उमर कुरैशी
S/o निहाल अहमद अहमद

अंजुम न इस्लाम मंदसौर नि. रवानपुरा वादा के पाब मंदसौर (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 12 से 13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

O/C

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543171

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) बक्क एक्ट 1995

भेजे और हिसाबत साल 12-13 से लगायत साल x भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

[illegible]

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश द्वारा गठित)
राज्य कंपस नियर राजूल परसाजिद गणान फोन 0755 2563175, 2731734
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / ग. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7244 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

रूपरेखा D.No. 7473

प्रति,

श्री हाजी शरीफ हुसैन अहमद
तामा मस्जिद निवासी - जवाहर नगर
अम्बेडकर रोड नौमपुर (प्र. प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुताबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2003-04 से 12-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 0755-2543175

फैक्स : 0755-2543171

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

7080

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 5 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक 03-08-13
डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : हाजा सुनादन कुबेर चन्द्राणी जामा मस्जिद

मिनाहा जवाहर नगा कानेसकर रोड मिनाहा मस्जिद

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. 21378/-

केवल 21378/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2003-04 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	12.13		—	—	—	152700/- मुनाहा शे.च	71	10689/- 10689/- 21378/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्य प्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य कंपरा नियंत्र लाजुल मरसाला भोपाल फोन: 0755-2643175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7240 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सूचिपोल्ट D.No. 7469

प्रति,

श्री सलीम माई S/o अब्दुल शकीर (पूर्व पश्चिम)
अध्यक्ष

महम्मद कादर पुरा

निवासी, मार्गिन मार्ग गली नं 2 गुजरात रोड उज्जैन जे.5

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आगवानी वाले वक्फों के मुताबिल्लियों में से एक मुताबिल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबिल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

o/c

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

4286/06-05-2013

शाखा ऑडिट 3

नस्ती क्र. 23

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : मल्लोम साई 3/8 सादुल्ला गार्डन पूर्व (पाछे)

अद्वयक्ष मसजिद फादामपुरा नि. मसजिद मार्ग 5/11 नं. 2 इगजर वाड़ी
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पु. अ. अ. नुमा. 11/11 इज्जत (म. प्र.)

केवल 7350/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 01-02 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		12-13				10,500/-	7%	7350/-		
						गोग		7350/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(मध्यप्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रशासन द्वारा गठित)
राज कविपरा नियर ताजुल मसजिद भोपाल फोन 0755-2543175, 2737341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7241 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

रूपरेखा D.NO. 7470

प्रति,

श्री मो० इरशाद स/० मो० सादिक
अध्यक्ष

इदगाह, मास्जिद नागदा

निवासी चम्बल सागर मालोनी नागदा कि. 30, 9.5

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्याग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067

फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

3579

शाखा आडिट I नस्ती क्र. 18

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

17/4/13

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री गो. उरशाद का. गो. सादिक सादत वक्फ इन्सिद्

गारिजद नागादा जि. नाला सागाद इन्सिद् नागादा जि. उज्जैन (म.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. जोत जोत पद पद व गारिजद

केवल 8441/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल X X से लगायत साल X X भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012	118645/-	12347/-	106298/-	106300/-	7/100	7641/-	-	
		2013						5000/-		
								2401/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 18/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यालय अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य कंपस नियर ताजुल मरसिद भोपाल फोन 0755 2543175, 27737401
ई.मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7236 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुविधार्थ D.No. 7465

प्रति,

श्री मुहोउददीन नागोरी साह
सदर फजलतान नील गंगा
श्री गंज उज्जैन (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपको द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष ~~7~~ से ~~8~~ तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

पुल भारत

1	रसोद रु 675 दि. 31-3-06 से	12000/-
2	" " 209 " 17-11-06 से	10000/-
3	" " 229 " 13-12-06 से	4000/-
4	" " 715 " 28/4/08 "	5000/-
5	" " 716 " " "	5000/-
6	" " 765 " 21-5-08	10000/-
7	" " 868 " 21-7-08	10000/-
8	" " 996 " 21-11-08	15000/-
9	" " 1061 " 2-2-09	15000/-
10	" " 1142 " 30-3-09	9501/-
11	" " 1369 " 21-10-09	7503/-
12	" " 1584 " 12-5-10	15000/-
13	" " 1860 " 14-2-11	21602/-
14	" " 28 " 28/11-11	20000/-
15	" " 83 " 1-5-12	35000/-
16	" " 84 " 3-9-12	21628/-
17	" " 1022 " 27-5-13	40383/-
		<u>256617/-</u>



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(भारतीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य कंप्यूटर नियंत्रण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल फोन: 0755-2543175, 2732344
ई मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / नं. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7237 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वीडपोस्ट D.No. 7466

प्रति,

श्री अ. वहीद खान साह अहमद
मोहम्मद मारवान फखार
मोहम्मद उज्जैन (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष X से X तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

815

1	444	29.5.07	2000/-
2	477	2-7-07	2000/-
3	519	6-8-07	2000/-
4	601	1-11-07	2000/-
5	885	4-2-08	2000/-
6	448	16-9-08	2000/-
7	969	20-10-08	2000/-
8	999	21-11-08	5000/-
9	1037	23-12-08	2000/-
10	1100	24-2-09	2000/-
11	1143	30-3-09	2000/-
12	1212	25-5-09	2000/-
13	1251	29-6-09	2000/-
14	1283	27-7-09	2000/-
15	1326	23-9-09	2000/-
16	1976	12-11-11	30000/-
17	1003	26-12-12	15000/-
कुल 94M		78000/-	

1255	1251	29-6-09	2000/-	500	66-2000
1054	1283	27-7-09	2000/-	104	90-2000
1511	1326	23-9-09	2000/-	1511	100-2000
1511	1976	12-11-11	30000/-		101-2000
1003	1003	26-12-12	15000/-		112-2000

1255
1054
1511
1511
1003

अधिसूचना क्र. 100/2013 दि. 12.12.2013
अधिसूचना क्र. 100/2013 दि. 12.12.2013

निदेशाधीन अधिसूचना क्र. 100/2013
अधिसूचना क्र. 100/2013 दि. 12.12.2013

अधिसूचना क्र. 100/2013 दि. 12.12.2013

अधिसूचना क्र. 100/2013 दि. 12.12.2013

राज्य-25 म. प्र. / लीडर फोरम



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज कैम्पस नियर ताजुल मसजिद भोपाल फोन-0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / 7400-7401

भोपाल, दिनांक 13-8-2013

प्रति,

श्री अनवर खां S/o काकिठ खां
मुतावल्ली

कमलाठ चिहरे का बाड़ा पार्क II

दोमट गंज 30-मैठ (म.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

पूजे और हिसाबत साल ०५-०३ से लगायत साल १२-१३ भी अन्दर १५ दिनों में भेजें।

प्रकृफ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013				125000/-	7%	8750		
						30000/-		2100/-		
						40000/-		2800/-		

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वस्त्र बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य शासन द्वारा गठित)
ताज कम्परा नियर लाजुल गराजिद भोपाल फोन: 0755-2643178, 2787341
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7254 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

स्वीडपोर D.No. 7483

प्रति,

श्री अब्दुल गनि S/o अहमद खान
मुतावल्ली
काग्रस्ताक निमरे का बाड़ा पार्ट I
दोस्त गंज इज्जत न. 5

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदगी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वार्षिक वर्ष 1984-85 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

६

फैक्स : 0755-2543175

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

4996/06-05-2013
जावक नं. दिनांक

साडिट 3

नस्ती क्र. ५३

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) बक्फ एक्ट 1995

मुतवल्ली कमेटी मय पता :

अवदुतानी ३/० अवदुत रहमान मुताविलता राधा

कश्मीर की चोटी का लाला पति एक दुर्लभ (म.प्र.)

विभाव प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

पूरा आय मा

90891 रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

और हिसाबत साल 84-85 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

894-2102

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यालय अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य केम्परा नियर लाइजुल मर्राजिब भोपाल फोन 0755 2643178, 2737341
ई-मेल: mp_wakfboard@prodiftpall.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.No. 7255/-भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सन्निधित D.No. 7484

प्रति,

श्री अक्षय २६मय ९/० बाकूल

मध्यदा

जामि मर्राजिब

जिनाम, मोराराम की हवेली 339/0 म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2012-13 से 2013 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट नु नस्ती क्र. 131 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक न. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : अंगार अहमद S/o अब्दुल गफ्फार अहमद वक्फ जागा मीरजु

उज्जैन निज मीर हादवा फी हदीदा जिला - उज्जैन
हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. पूर्व आय अनुसार DIN जारी

केवल 7700/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 12-13 से लगायत साल ✓ भी अन्दर 15 दिनों में भेजे।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72(1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		20012 13				1180,000/- शेष	7%	7700/- 7700/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य शासन द्वारा संचालित)
 राज. कीम्परा नियंत्रण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल फोन-0755-2643176, 2737341
 ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. / नं. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.No. 7249 / भोपाल, दिनांक 13.08.2013

अधीनस्थ D.No. 7478

प्रति,

श्री एमोय उद्योग श्री इमाम उद्योग

अधीनस्थ

महोदय जामा शाकेल

निवासी, लिखाऊ कंठ्यास एटी फाउंड उमरुन मि.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावलियों में से एक मुतावल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी ओर से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतावल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

4307/66-05-2012

शाखा आडिट 3

नस्ती क्र. 39

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : हमीद उददीन 5/6 इमाम उददीन अहमद जमा

आफेल बिताम लिबास कटरीस हमी फाटक उज्जैन (म.प्र.)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. 3/11 जारी

केवल 13920/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2000-01 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्र.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		12-13	-	-	-	198000/-	7%	13860/-		
						घुट गेठ		60/-		
						मोरा		13920		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की अन्तर्गत मध्य शासन द्वारा गठित)
वाकफ बोर्ड का निम्न लिखित कार्यालय भोपाल कोष 0768-2643178, 2737341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

Ujjain

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड/D.No. 7250 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

सुप्लायर D.No. 7479

प्रति,

श्री मो० सलीम खा० आदर
शाही जामा मस्जिद भोपाल
छाती पोस्ट अजमेर (र. 5)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आयदनी वाले वक्फों के मुताविल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबत वर्ष ~~.....~~ से ~~.....~~ तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबत, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

O/C

(दाऊद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
राज्य कंपरा नियर लाजुल मसजिद भोपाल फोन 0708-2643175, 2797941
ई-मेल: mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7251 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

संज्ञासूचक D.NO. 7480

प्रति,

श्री आ. कादर खान 5/ फ. 21/2

अध्यक्ष

मालिक डारि पोडा

निवासी, गाँधी नगर आगरा रोड अजमेर (ज.प्र.)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अंतर्गत एक लाख से अधिक आयदगी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

o/c

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट 3 नस्ती क्र. 35/6 डिमाण्ड नोटिस सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : श्री आजाद अमान आर आबकूर केरगाँव दक्कनगिरि

जबरी गिरा उज्जैन जिला गोंद्वीनागर आगरा जिला उज्जैन

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. 2 वर्ष दफा 72 (1)

केवल 7564/ रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबात साल 2008-09 से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	1025004-	71/	7195/-		
						2 वर्ष के लिए		369/-		
						3 वर्ष के लिए		7564/-		

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 17/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(कन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित)
मुख्य कार्यालय नियर राज्जुल मसजिद भोपाल फोन 0755 2543170, 25437341
ई मेल mp_wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड /D.NO. 7252 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013

2-प्रीट-पोस्ट-D.NO. 7481

प्रति,

श्री शेख गावेय 5/0 40 गठवाल

अध्यक्ष

मालिक, चितेश बागल

मालिक, 36 चितेश बागल उज्जैन म.प्र.

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुताबलियों में से एक मुताबल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अन्तर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अन्तर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष 1970-71 से 2012-13 तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अन्तर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुताबल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यर्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेंगे।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- एक

0/C

(दाऊद अहमद खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

8

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताजु केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल

शाखा आडिट

3

नस्ती क्र.

21

डिमाण्ड नोटिस

सन्

जावक नं.

दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता :

ताजुल मसाजिद के पीछे, ताजु केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल
नितास 36 नियत धारक डेपुटी (1-9)

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों.

प्राप्त जानकारी अनुसार D.N जारी

केवल 8565/- रुपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर

भेजे और हिसाबत साल 70.71 से लगायत साल 12-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबत के अनुसार	धारा 72 (1) के अन्तर्गत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चन्दा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
	12	1-3				122,400/-	7%	8565/-		

दीगर रिमार्क्स के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुजारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क

हस्ता. चार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल